

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर

क्रमांक : प.1(1) / कार्मिक / टेलीफोन / 2007 / २३८।

दिनांक : 07.11.07

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा समय-समय पर टेलीफोन की लैण्ड-लाईन एवं मोबाईल फोन हेतु जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमण करते हुए मण्डल में पद एवं कार्य की आवश्यकता के अनुरूप, प्रशासनिक दृष्टि से आवास पर लैण्ड लाईन टेलीफोन एवं मोबाईल फोन सुविधा की वित्तीय सीमा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

(Amount per month in Rupees)

S. No.	Designation	Land line Telephone	Mobile Telephone
1.	Chairman, Housing Commissioner	Unlimited	Unlimited
2.	CE / Secy / FA & CAO / DL	1500/-	1000/-
3.	ACE / DS / CEM / OSD (LAND) / ACTP	1200/-	800/-
4.	DHC / TACM / TAHC / TACE / STP	1000/-	600/-
5.	PPS / RE / PS	800/-	500/-
6.	Sr.PM / Sr.AO / Sr.PA / ACP / LAO / PRO / EM (On Deputation) / DTP	600/-	400/-
7.	OSD, PA and Steno (working with CM/ HC)	-	600/-
8.	PA / ADR/ AS / LO/ P.E. (Sr.)	-	500/-
9.	EM (LEGAL CELL-HQ), AO(R) / AO(P) / AHO- PM cell (Pers./ Legal), AHO-H.Q. (CEM cell) / P.E. (Jr.)-(Buldg. main-tainance- HQ) / CARE TAKER / AAO (Store-HQ), OS (Legal Cell-HQ), Acctt. (A/c cell-HQ)	-	300/-

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश लागू होंगे :-

1. लैण्ड लाईन/मोबाइल टेलीफोन से सम्बन्धित पूर्व में जारी सभी आदेश निष्प्रभावी हो जाएंगे।
2. लैण्ड लाईन हेतु खीकृत मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./इंटरनेट/ब्रॉड बैंड सुविधाएं सम्मिलित होंगी। उक्त सीमा में टैक्स आदि की राशि सम्मिलित है।
3. अधिकारियों को निवास स्थान पर मण्डल की ओर से नियमानुसार निजी अथवा मण्डल के टेलीफोन पर वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। निवास स्थान पर उपलब्ध निजी लैण्ड लाईन फोन की स्थिति में स्वयं के अथवा पति/पत्नी के नाम से दूरभाष होने पर ही उक्त सुविधा प्रदान की जाएगी।
4. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय हानि पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महीनों के कम व्यय से बच्ची हुई राशि से समायोजन किया जा सकेगा।
5. मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा तक इन सुविधाओं के बिल भुगतान/पुनर्भरण किए जायेंगे। निर्धारित वित्तीय रीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
6. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे।
7. उपरोक्तानुसार तय नीति के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सचिव को अधिकृत किया गया है अतः सभी प्रस्ताव सचिव को भेजे जावें।
8. मोबाइल सुविधा हेतु मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों/कार्मिकों (यदि वे चाहें तो) के अतिरिक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मण्डल द्वारा खीकृत "वोडाफोन-सी.यू.जी." फोन सुविधा के तहत ही कनेक्शन लेना होगा।

9. मोबाईल हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो चिप उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें बार-बार स्थानान्तरण होने पर बदलने वाले नम्बरों की परेशानी से बचने के लिए वे अपना वही नम्बर निरन्तर रख सकेंगे, बशर्ते कि नव पदस्थापन स्थान पर भी वे उस सुविधा हेतु अधिकृत हों।
 10. सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवा निवृत्ति तिथि से सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। सभी से अपेक्षा है कि वे अन्तिम बिल जमा कराकर अपनी चिप यथाशीघ्र मण्डल में जमा करवा दें।
 11. सभी सम्बन्धितों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने-अपने दूरभाष/मोबाईल बिलों को नियत तिथि में ही जमा करायेंगे। किसी भी प्रकार की पैनेलटी मण्डल द्वारा देय नहीं होगी।
 12. "वोडाफोन सी.यू.जी." योजना के तहत कम्पनी द्वारा 125/- रुपये की फी टॉक वैल्यू प्रदान की जाएगी। इसमें सी.यू.जी. के अन्तर्गत आने वाले सभी मण्डल के मोबाईल धारक समस्त अधिकारी/कर्मचारी आपस में निःशुल्क बात कर सकेंगे। ग्रुप से बाहर बात करने पर निर्धारित चार्जज देय होंगे। इसके साथ ही उक्त प्लान में 75 एस.एम.एस. की भी निःशुल्क सेवा प्रदान की गई है।
 13. मोबाईल कनेक्शन का आवेदन पत्र वोडाफोन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इस पर अधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में भरकर वोडाफोन प्रतिनिधि को दिया जायेगा जो प्रतिहस्ताक्षर हेतु सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया जाएगा।
 14. मोबाईल हैंडसैट अधिकारी का स्वयं का होगा। कम्पनी द्वारा केवल सिम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
 15. प्रतिमाह आने वाले बिलिंग की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। कम्पनी द्वारा बिल सीधे ही संबंधित अधिकारियों को भेजे जायेंगे।
- _____

अधिकारी अपने स्तर पर उसका सत्यापन करके निर्धारित तिथि में बिल को जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

16. मण्डल द्वारा विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध कराए गए लैण्ड लाईन टेलीफोन के सम्बन्ध में लेख है कि वर्तमान में बी.एस.एन.एल. द्वारा पूरे राजस्थान में "149-प्लान" के तहत निर्धारित किराया राशि के अतिरिक्त मात्र 149/- रूपये प्रति माह के अतिरिक्त भुगतान पर बी.एस.एन.एल. की लैण्ड लाईन से लैण्ड लाईन पर असीमित निःशुल्क कॉल्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी नियंत्रक अधिकारी इस सुविधा को भी राभी कार्यालयों में आवश्यक रूप से चालू करवाना सुनिश्चित करेंगे।
17. यह आदेश 1 नवम्बर, 2007 से प्रभावी होंगे।

इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव 21/11/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वि. स. एवं मु. लेखाधिकारी/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल ————— (समर्त)
6. उप आवासन आयुक्त ————— (समर्त)/वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल ————— (समर्त)
8. समर्त प्रकोष्ठ मुख्यालय —————, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सम्बन्धित श्री —————
10. सम्बन्धित/रक्षित पत्रावली।

सचिव 21/11/07

:: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

कमांक-प(1)कार्मिक/दूरभाष निति/123/2009-10/-/

दिनांक- 11/11/10

कार्यालय आदेश :

मण्डल द्वारा मण्डल अधिकारियों को आवास पर लैण्ड लाईन दूरभाष एवं गोवाईल फोन सुविधा की वित्तीय सीमा स्वीकृति हेतु कार्यालय आदेश कमांक अ.1(1)कार्मिक/टेलीफोन/2007-08/3051 दिनांक 18.01.2008 के द्वारा निर्धारित है, को राज्य सरकार सामान्य प्राशासन (गुप्त-3) विभाग के द्वारा जारी आज्ञा कमांक प.5(31)रा.प्र./3/82 दिनांक 30.07.07 के अनुसर मण्डल में भी उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी आदेश कमांक 3061 दिनांक 18.01.2008 के अधिकारण में मण्डल अधिकारियों को मण्डल द्वितीय आवास पर लैण्ड लाईन दूरभाष एवं गोवाईल फोन सुविधा की वित्तीय सीमा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है-

क्र.	पदान्वय	प्रतिमाह दूरभाष एवं गोवाईल हेतु स्वीकृत राशि रूपये
1.	अध्यक्ष/आवासन आयुक्त	असीमित
2.	मुख्य अभियंता	3000/-
3.	सचिव/पि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी/निदेशक पियि	2500/-
4.	अधि.मु.अभि./उप सचिव/मुख्य सम्बाद प्रबंधक/विशेषाधिकारी (भूमि)/अधि.मुख्य नियंत्र. नियोजक	2250/-
5.	उप आवासन आयुक्त/द्वारा अध्यक्ष/वि.स. आवासन आयुक्त/ द्वारा गुरुत्व अभियंता/वरिज्ञान पियोजन	1600/-
6.	आवासीय अभियंता/पियोजनी संस्थिय/इनाविरत कम प्रोफामर	1300/-
7.	वरि.कार्मिक/प्राप्तान्क/वरि.संशालितान्क/वरि. निजी सहायक/भूमि अवासि अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी/संपादा प्रबंधक(प्रतिनियुक्ति पर)/उप नगर नियोजक/संपादा प्रबंधक(पियि प्रकोष्ठ मु)/पुरुष पियि सदाकान (पियि प्रकाश मु)	1000/-
8.	सेवाधिकारी	800/-
9.	विशेषाधिकारी/पियोजनी सहायक/ए.स.संप. (अध्यक्ष/आवा.आयुक्त प्रको.)	600/- केवल मासरूल
10.	निजी सहायक/सहायक निदेशक (अभियंता)/सहायक सचिव/परि.अभि. (वरिष्ठ)/साइरिकी अधिकारी	500/- केवल मासरूल

11.	सारा जगत् अधिकारीश्चकार्तिक / विभि / पूजा प्र प्रकारोऽपि / वारे भवेत् इन्द्रिय भवन महार्षिः / कंपर देवर / सारा लेखाधिकारी (मण्डल मु) / कथोलय अवैष्टि ब (विधि प्रभावमु) लेखाकार (लेखा प्रकार मु) / सांकेतिकी राहायक (पी एण्ड एग प्रकारोऽपि मु)	300/- काल गामदूल
-----	--	---------------------

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश लागू होंगे:

1. लैण्ड लाईन दूरभाष/गोवाईल फोन से संबंधित पूर्व में जारी रापी आदेश निष्पत्तावी हो जायेगे।
2. लैण्ड लाईन दूरभाष सुविधा के अन्तर्गत रथानीय कॉलरा/एस.टी.डी. /इन्टरनेट/वॉडवैड सुविधाएँ समिलित होगी। उक्ता रीमा में टैक्स आदि की राशि समिलित है।
3. अधिकारियों को निवास स्थान पर मण्डल हित में निजी अथवा मण्डल के दूरभाष उपयोग गे लेने एवं विल के पुनर्भरण की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। निवास स्थान पर निजी लैण्ड लाईन दूरभाष उपलब्ध होने की स्थिति में स्वयं के वार्ता पाने वालों के लिए दूरभाष होने पर ही उक्त सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित गरिमक वित्तीय रीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के रूप व्यय से दक्ष दुर्दश से सामायोजन यित्ता ला सकेगा।
5. मण्डल द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा तक उक्त दूरभाष/कॉलरा सुविधाओं के विलों का पुनर्भरण किया जायेगा। निर्धारित विलों व सीमा से अधिक राशि व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी द्वारा रख्य बहन की जायेगी।
6. रापी अधिकारी विल का सत्यापन रख्य करेंगे।
7. उपरोक्तानुसार तथ नीति के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रायिव को अधिकृत किया जाता है। अतः रापी प्रत्याप रायिव को गठ जाए।
8. गोवाईल सुविधा हेतु मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों (यदि वे चाहे तो) के अतिरिक्त सभी अधिकारियों को मण्डल द्वारा रधीकृत "वोडाफोन गोवाईल रीयूजी," योजना अन्तर्गत ही कनेक्शन लोगा होगा।
9. गोवाईल सुविधा अन्तर्गत मण्डल अधिकारियों को जो गोवाईल यित्त उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें घर-घर रथानन्तरण होने पर ददतने वाले नामों की परेशानी से बचने के लिए वे अपना वही नाम निर्दत्त रथ राकंगे, वर्ती कि नव पदस्थापन स्थान पर गोव उस सुविधा हेतु अधिकृत हों।
10. रोगानियुक्ति/मण्डल में प्रतिनियुक्ति रामायि वी रिहाई के संबंधितों/प्रतिनियुक्ति रामायि विधि से उपरोक्त रामायि वी के सम्बन्ध डा जाएगी। रावानियुक्ति/प्रतिनियुक्ति अधिकारी मण्डल में

वोडाफोन गोबाईल सी.यू.जी. योजना अन्तर्गत उपलब्ध गोबाईल नम्बर को यथावत रखना चाहते हैं, तो सचिव से रवीकृति प्राप्त कर सकते हैं। गोबाईल नम्बर यथावत रखने पर भविष्य में उपरोक्त गोबाईल नम्बर के बिलों के युगतान की संविधि अधिकारी की वक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

11. समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना दूरगाष/गोबाईल बिल जमा करने की निर्धारित तिथि अनुसार जमा करवायें। विलम्ब से बिल राशि युगतान किये जाने पर ऐसे किसी भी प्रकार की पैनलटी राशि संवधित अधिकारी हासा समय बढ़ने की जांचेंगे एवं मण्डल द्वारा देय नहीं होगी।
12. "वोडाफोन गोबाईल सी.यू.जी."योजना अन्तर्गत कम्पनी द्वारा 150/- रुपये की फी टॉक थेल्फ़ प्रदान की जाएगी। वोडाफोन गोबाईल सी.यू.जी. योजना के अन्तर्गत आने वाले नम्बर अधिकारी आपने मनिशुल्क यात कर सकते हैं। सी.यू.जी. युप से नहर वाले वक्त वोडाफोन के लाई APEX 199 के अनुसार निर्धारित शुल्क देना होगा। जॉन खान में 150 मनिशुल्क एसएमएस की सुविधा में उपलब्ध है।
13. गोबाईल कनेक्शन का आवेदन पत्र वोडाफोन प्रतिनिधि संविधित अधिकारी को उपलब्ध करायें। उस पर अधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में भरकर वोडाफोन प्रतिनिधि को दिखा जायेगा जो प्रतिस्तानादार हेतु समिति, राजस्थान आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा।
14. गोबाईल हैंडसेट अधिकारी का स्वयं वह कामा। कम्पनी द्वारा उनके द्वारा कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रतिगाह और वाले बिलों के निर्धारित समय पर युगतान की समलज्जिम्मेदारी संवधित अधिकारी की होगी। वोडाफोन कम्पनी द्वारा बिल रीफे ही राविधित अधिकारियों को भेजे जायेंगे। अधिकारी आपने रत्नपर निर्धारित तिथि पर बिल को जमा करवाया जाना सुनिश्चित होता है।
16. रापरोक्त आदेश 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होता है।

उक्त आदेशों को आवासन आगुक्ता महोदय का अनुमोदन पात्र है।

मुख्य
प्रतिनिधि राजनीति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख निजी समिति-अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी समिति- आवासन आवृत्ति/मुख्य अनियंत्रण, जयपुर, राजस्थान मण्डल, मण्डल, जयपुर।
3. विस. एवं मुख्याधिकारी/निरेक विधि/अधिमुख्य नायर निरेकक, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य रामदान प्रबन्धक/उप समिति, राजस्थान मण्डल, जयपुर।
5. अधिमुख्य अधिकारी, राजस्थान मण्डल.....(समर्थ)

- 6 उप आवासन आयुक्त, वृत्त (समरत) / वरिष्ठ नगर नियोजक, सत्
आवासन मण्डल, जयपुर।
7. अवासीय अभियन्ता, खण्ड ८४/राज.आ.मण्डल..... (समरत)
8. सेखाशिकारी, राज. आ.मण्डल..... (रामरत)
9. पकोड़ मुख्यालय, (समरत), राज. आ.मण्डल, जयपुर।
10. समीक्षा वी
11. संवित वी

१०५७

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2014/5/0

दिनांक:- ११-५-१४

—:: कार्यालय—आदेश ::—

मण्डल द्वारा अधिकारियों को आवास पर लैण्ड लाईन दूरभाष एवं मोबाइल फोन सुविधा की वित्तीय सीमा स्वीकृति हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2009-10/7 दिनांक 01.04.2010 के द्वारा निर्धारित है। उक्तानुसार निर्धारित वित्तीय सीमा को सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, राज्य सरकार के द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 दिनांक 14.08.2013 के मध्यनजर संशोधित किया जाकर एतदसंबंधी पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त कर मण्डल अधिकारियों को मण्डल हित में दूरभाष+ब्राउज़ेप्ड/मोबाइल/डाटाकार्ड सुविधा की वित्तीय सीमा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है एवं वास्तविक व्यय का भुगतान/पुनर्भरण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	पदनाम	प्रतिमाह स्वीकृत राशि रूपये			कुल प्रतिमाह स्वीकृत राशि रूपये
		बेसिक टेलीफोन	मोबाइल	ब्राउज़ेप्ड/डाटाकार्ड	
1	2	3	4	5	6
1.	अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित
2.	मुख्य अभियन्ता	1500	1500	750	3750
3.	सचिव/ वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक विधि	1500	1300	750	3550
4.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/ मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/ उप वित्तीय सलाहकार/ विशेषाधिकारी (भूमि)/ उप सचिव	1200	800	750	2750
5.	उप आवासन आयुक्त/ वरिष्ठ नगर नियोजक/ सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1000	750	750	2500
6.	आवासीय अभियन्ता/ निजी सचिव	800	750	750	2300
7.	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ उप नगर नियोजक/ मुख्य विधि सहायक(विधि प्रकोष्ठ)/ संपदा प्रबन्धक(प्रतिनियुक्ति/विधि प्रकोष्ठ)/ वरिष्ठ निजी सहायक/ भूमि अवाप्ति अधिकारी/ जन सम्पर्क अधिकारी	600	750	750	2100
8.	लेखाधिकारी	500	750	750	2000

9.	निजी सहायक (अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ)	-	750	-	750
10.	निजी सहायक / सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख/वृत्त कार्यालय)/ कार्मिक प्रबन्धक /सहायक सचिव/ परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)	-	600	-	600
11.	सहायक आवासन अधिकारी (कार्मिक / विधि/मु.स.प्र./वृत्त/खण्ड कार्यालय)/ सहायक लेखाधिकारी (पीएफ एवं पेशन/ भण्डार मु.)/ कार्यालय अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ)/ लेखाकार (लेखा प्रकोष्ठ मु.)/ सांख्यिकी सहायक (मुख्य अभियन्ता मुख्यालय प्रकोष्ठ)/ केयर टेकर /ड्राईवर / संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी	-	450	-	450


इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश लागू होगे:-

1. लैण्ड लाईन दूरभाष/मोबाईल फोन से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेश निष्प्रभावी हो जायेंगे।
2. क्रम संख्या 2 से 8 तक के अधिकारीगण द्वारा मोबाईल नहीं लेने पर रुपये 750/- प्रतिमाह व ब्राउडबैण्ड/डाटाकार्ड नहीं लेने पर रुपये 750/- प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा से स्वतः कम हो कर शेष राशि ही देय होगी। अर्थात् कोई अधिकारी मोबाईल व ब्राउडबैण्ड/डाटाकार्ड का उपभोग नहीं करता है, तो उसके पेटे रुपये 1500/- प्रतिमाह स्वीकृत वित्तीय सीमा में से स्वतः ही कम हो जायेंगे।
3. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अन्तर्गत रोमिंग, एसटीडी प्लान, वेल्यू एडेड सर्विसेज, एसएमएस, लेट फीस, टैक्स आदि सभी चार्जज अनुज्ञेय होंगे।
4. अधिकारी के निवास स्थान पर निजी लैण्ड लाईन दूरभाष उपलब्ध होने की स्थिति में स्वयं के अथवा पति/पत्नी के नाम से दूरभाष होने पर ही उक्तानुसार पुनर्भरण सुविधा प्रदान की जायेगी।
5. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के कम व्यय से बची हुई राशि से समायोजन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हो तो उसका भुगतान इस शर्त के साथ कर दिया जायेगा कि अधिक व्यय की राशि का प्रथमतः समायोजन आगामी माहों में होने वाली बचत से किया जायेगा।
6. निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
7. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे।
8. मण्डल द्वारा मोबाईल हेण्डसेट/मोडम/डाटाकार्ड/डाटाकार्ड हेतु डोंगल उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तथा न ही इनके क्रय पर किये गये व्यय का पुनर्भरण होगा।



9. उपरोक्तानुसार तय नीति के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सचिव को अधिकृत किया जाता है। अतः सभी प्रस्ताव सचिव को भेजे जावे।
 10. मोबाईल सुविधा हेतु मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों (यदि वे चाहे तो) के अतिरिक्त सभी मण्डल अधिकारियों को मण्डल द्वारा स्वीकृत वोडाफोन मोबाईल सी.यू.जी. योजना के अन्तर्गत ही कनेक्शन लेना होगा।
 11. सेवानिवृत्ति/मण्डल में प्रतिनियुक्ति समाप्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति/प्रतिनियुक्ति समाप्ति तिथि से उपरोक्त सुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवानिवृत्ति/प्रतिनियुक्ति अधिकारी मण्डल की वोडाफोन मोबाईल सी.यू.जी. योजना अन्तर्गत उपलब्ध मोबाईल नम्बर को यथावत रखना चाहते हैं, तो सचिव से स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। मोबाईल नम्बर यथावत रखने पर भविष्य में उपरोक्त मोबाईल नम्बर के बिलों के भुगतान की संबंधित अधिकारी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
 12. वोडाफोन मोबाईल सी.यू.जी. योजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त अधिकारी आपस में निःशुल्क बात कर सकेंगे। सी.यू.जी. युप से बाहर बात करने पर वोडाफोन के प्लान अनुसार निर्धारित शुल्क देय होंगे।
 13. नवीन मोबाईल कनेक्शन का आवेदन पत्र वोडाफोन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे इस पर अधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण आवेदन पत्र में भरकर वोडाफोन प्रतिनिधि को दिया जायेगा जो प्रतिहस्ताक्षर हेतु सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा।
 14. मोबाईल हैण्डसैट अधिकारी का स्वयं का होगा। कम्पनी द्वारा केवल सिम कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
 15. प्रतिमाह अपने वाले बिलों के निर्धारित समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। वोडाफोन कम्पनी द्वारा बिल सीधे ही संबंधित अधिकारियों को भेजे जायेंगे। अधिकारी अपने स्तर पर निर्धारित तिथि पर बिल को जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 16. यह सुविधा केवल पोस्टपेड सिम/डाटा कार्ड पर देय होगी और इस सिम पर Voice call Facility उपलब्ध नहीं होगी। किसी भी प्रकार से की गई Voice Call का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
 17. संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके पास स्थित निजी लैपटॉप पर ही इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इस सुविधा के दुरुपयोग के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 18. अतिरिक्त सिम/डाटा कार्ड की सुविधा वर्तमान में अधिकारियों को स्वीकृत बेसिक टेलीफोन + ब्राउज़र/डाटाकार्ड हेतु निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही देय होगी।
- उक्त आदेश वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी के परीक्षण/सहमति उपरान्त जारी किये जाते हैं। उपरोक्त आदेश 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे। जिन बिलों के भुगतान किये जा चुके हैं, इनके लिये कोई एरियर राशि भुगतान नहीं की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 (दिनेश कुमार पवार)
 सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियंता—मु. / १ / ॥, राजावाडा, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव / वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य नगर नियोजक / मुख्य सम्पदा प्रबन्धक / निदेशक विधि / उप सचिव / वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक / सहायक सचिव / सिस्टम एनालिस्ट, राजावाडा मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता.....राजावाडा मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त.....राजावाडा मण्डल,.....।
6. समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड—.....राजावाडा मण्डल,.....।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी—वित्त / भुगतान / पीएफ एण्ड पेंशन / कार्मिक प्रबन्धक / सहायक सचिव / प्रभारी अधिकारी, गोपनीय / एसीआर प्रकोष्ठ, राजावाडा मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय—.....
9. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।

सचिव २०१५/१४

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2014/ २१६

दिनांक:- २१/०५/१५

—:: संशोधित कार्यालय—आदेश ::—

मण्डल द्वारा अधिकारियों को मण्डल हित में दूरभाष+ब्राउबैंड/मोबाईल/डाटाकार्ड सुविधा की वित्तीय सीमा कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2014/510 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। उक्त आदेश में बेसिक टेलीफोन, मोबाईल एवं ब्राउबैंड/डाटाकार्ड की सुविधा हेतु पुनर्भरण की राशि पृथक—पृथक स्वीकृत की गयी है। जिसमें आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. संदर्भित आदेश दिनांक 21.05.2014 द्वारा पुनर्भरण हेतु स्वीकृत पृथक—पृथक राशि के स्थान पर अधिकारियों को कुल स्वीकृत राशि के आधार पर पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. बेसिक टेलीफोन, मोबाईल एवं ब्राउबैंड/डाटाकार्ड की सुविधा में से अधिकारी द्वारा जिस सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उस सुविधा हेतु स्वीकृत राशि को घटाते हुये शेष कुल स्वीकृत राशि के आधार पर पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी के परीक्षण/सहमति उपरान्त जारी किये जाते हैं। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—
(सुबेसिंह यादव)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता—मु. / १/ा, रा०आ०म०, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/सिस्टम एनालिस्ट, रा०आ०मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....राज०आवा०मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत.....राज०आवा०मण्डल,.....।
6. समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड—.....राज०आवा०मण्डल,.....।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी—वित्त/भुगतान/पीएफ एण्ड पेंशन/कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/प्रभारी अधिकारी, गोपनीय/एसीआर प्रकोष्ठ, राज०आवा०मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय—.....
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

—
सचिव